५१

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, जबलपुर, म.प्र.

राजस्व पुनरीक्षण प्रकंरण क्रमांक R-979-II/14 ~~/2013~~

पुनरीक्षणकर्तागण - 1. डॉ. अपूर्व सरीन उम्र 39 वर्ष

2. लावण्य सरीन

दोनो आत्मज श्री आर. सी. सरीन

दोनो निवासी- नेपियर टाउन, जबलपुर, म.प्र.

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण/ - 1. श्रीमति कुसुमदेवी कपूर पत्नि स्व. एस.एन.कपूर

गैरपुनरीक्षणकर्ता 2. श्रीमति नीलू कपूर पत्नि दिलीप कपूर

दोनो निवासी 80, केंट गली नं.6 केंट, जबलपुर

3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर

कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

3 MAR 2014

.XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(5-1)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-979-II/2014 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-14 जबलपुर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता श्री विकास गुप्ता उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना। 2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 9/अ-12/2012-13 में पारित अंतरिम आदेशों दि. 25-10-13 व 1-11-13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3- तहसीलदार के द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रचालित सीमांकन कार्यवाही विधिवत प्रक्रिया के अनुरूप की जा रही है एवं तहसील न्यायालय द्वारा अभी सीमांकन आदेश पारित नहीं किया है जिसके विरूद्ध निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जा सके। अतः प्रथमदृष्टया इस निगरानी में सुनवाई के पर्याप्त आधार नहीं होने से यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	

[कृ. प. उ.